<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

क्रिमिनल अपील वाद संख्या 82 / 1999

दिनांक 05.06.2025 वाद पुकार पर विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए और न्यायालय को बताये कि यह अपील वाद सात अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 12.10.1999 को श्री नंदकिशोर गुप्ता विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी हाजीपुर द्वारा पारित निर्णय एवं सजा के आदेश के विरूद्ध लाया गया है जिसमें उन्हें धारा 420 भा0द0वि0 के अंतर्गत तीन वर्ष एवं धारा 467 एवं 468 भा0द0वि0 के अंतर्गत उन्हें तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है तथा यह अपील 27.10.1999 को दाखिल किया गया है। दिनांक 22.11.1999 / 25.11.1999 को इसे प्रविष्ट किया गया है और पिछले 26 सालों से सुनवाई हेतु लम्बित है। अभिलेख अवलोकन के उपरांत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि अभिलेख पर निचली अदालत से संबंधित कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है इसी आलोक में न्यायालय से प्रार्थना करते है कि कार्यालय द्वारा उन्हें खोजवाकर और व्यवस्थित करके अभिलेख पर पहले लगवा लिया जाये ताकि सुनवाई हो सके।

सुना। अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख पर कुछ दस्तावेज चकबंदी पदाधिकारी लालगंज के पत्रांक संख्या 145 चक दिनांक 26.12.1997 के पत्र द्वारा उक्त ग्राम का भूमि पंजी भेजा गया है। इसके अतिरिक्त एक फाईल जी0आर0 संख्या 330 / 1994 टी0आर0 695 / 1999 सरकार बनाम रामबिलास राय का सी फाईल उपलब्ध है जिसमें कुछ दस्तावेज अभिलेख पर अव्यवस्थित ढंग से लगाया गया है किन्तु अभिलेख पर विद्वान निचली अदालत से संबंधित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। **कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण अभिलेख को व्यवस्थित कर एक प्रतिवेदन दे तथा अभिलेख अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं को सीन करा लें,** ताकि वे भी अपने स्तर से इस संबंध में कार्यवाही कर सके और यदि साक्ष्य की प्रमाणित प्रति उपलब्ध हो तो उसे न्यायालय में दाखिल करे।

अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदन दिनांक 19.01.2023 शिवशंकर यादव द्वारा इस आशय का दाखिल किया गया है कि जयमल देवी पति स्व. रामविलाश राय की मृत्यु हो गयी है। इसी प्रकार का आवेदन दिनांक 08.01.2024 दाखिल किया गया है जिसमें अमीरी राय की मृत्यु दिनांक 29.06.2023 को होने की चर्चा है। दोनों ही आवेदनों के साथ मृत्यु प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दाखिल किया गया है। जिससे पता चलता है कि जयमल देवी की मृत्यु की दिनांक 15.01.2016 तथा अमीरी राय की मृत्यु दिनांक 29.06. 2023 को हो गयी है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को अभिलेख सीन कराये और उपरोक्त आवेदनों के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करें। **इस आदेश की एक प्रति सी0आई0एस0 पर अपलोड कर दें और एक प्रति डिस्ट्रिक बार एसोशिएशन को भेज दें ताकि संबंधित अधिवक्ता इस संबंध में उचित कार्रवाई कर सके। कार्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06.07.2000 को कार्यालय द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न किया गया था अतः इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करे** तथा यह अभिलेख इस न्यायालय में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–ग्यारह, हाजीपुर वैशाली के न्यायालय से दिनांक 10.02.2025 को प्राप्त हुआ है।

दिनांक 26.06.2025 अग्रतर कार्यवाही हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय